भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या. 293

दिनांक 28.07.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत
राजस्थान को विशेष दर्जा

†*293. **श्री नारायण लाल पंचारिया:**

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार राजस्थान को विशेष दर्जा प्रदान करके राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) से (ख) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 28.07.2014 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 293 (प्राथमिकता संख्या 13) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) राजस्थान राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने के संबंध में राजस्थान राज्य सरकार से कोई विस्तृत प्रस्ताव मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री से दिनांक 7 जून, 2014 का पत्र मंत्रालय में प्राप्त हुआ है, जो कि माननीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता को संबोधित है, जिसमें राज्य ने सतही जल आपूर्ति के लिए बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से राज्य की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के दीर्घ अवधि वाले स्थायी समाधान के रूप में 10 वर्षों की अवधि के लिए 1,50,000 करोड़ रूपए का निवेश करने की योजना बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बताया कि इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के पास अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध निधियां 40,000 करोड़ रूपए तक बढ़ाई जा सकती हैं जिनमें राज्य-योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) और केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य स्कीमें (सीएसएस) शामिल हैं।

राजस्थान राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, जहां कि 90 प्रतिशत जल आपूर्ति स्कीमें भू-जल पर निर्भर हैं और जहां भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है, यह अनुरोध किया गया है कि राज्य को एक विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में समझा जाए और 1,10,000 करोड़ रूपए की राशि के वित्त-पोषण में आए अंतर को पूरा करने के लिए मौजूदा आबंटनों के अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति दोनों स्कीमों के लिए अगले दस वर्षों के लिए प्रति वर्ष 11,000 करोड़ रूपए की सहायता उपलब्ध कराई जाए।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का आबंटन जिन मानदण्डों के आधार पर निम्नांकित अधिमान्यता के अनुसार किया जाता है, वे इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	मानदण्ड	अधिमान्यता (% में)
i)	ग्रामीण आबादी	40
ii)	ग्रामीण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी	10
iii)	ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में डीडीपी, डीपीएपी, एचएडीपी के अंतर्गत आने वाले राज्य और विशेष श्रेणी के पर्वतीय राज्य	40
iv)	ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों का प्रबंधन करने वाली ग्रामीण आबादी जिसे प्रबंधन अंतरण सूचकांक द्वारा अधिमान्यता दी जाती है	10
	कुल	100

ऐसे राज्य जहां सोलर जिले, 85 ब्लॉक हैं और जिनका क्षेत्रफल 198744 वर्ग किलोमीटर हैं, उन्हें मरूस्थल विकास कार्यक्रम राज्य मानदंड के तहत एनआरडीडब्लूपी आबंटन का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, राज्य की देश में खर्च करने की क्षमता के आधार पर राजस्थान राज्य को निधियों का अतिरिक्त/तीसरी किश्त प्राप्त हो रही है,जो कि राज्यों को वित्त वर्ष के अंत में कार्यक्रम के अंतर्गत खर्च न की गई उपलब्ध निधियों से जारी की जाती है। राज्य को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किए गए आबंटन और रिलीज का विवरण इस प्रकार है:

(रू. करोड़ में)

वर्ष	आबंटन	रिली
2011-12	1083.57	1153.76
2012-13	1352.54	1411.36
2013-14	1231.05	1332.49
2014-15	1277.99	375.37(23.7.2014 तक)

-3-